



**भारत सरकार**  
**Government of India**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**Ministry of Environment, Forest & Climate Change**  
**केन्द्रीय कार्यालय, लखनऊ**  
**Regional Office, Lucknow**



केन्द्रीय वन, रायार्यां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
**Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696**  
**Email : roez.lko-mef@nic.in, goimaoefrolko@gmail.com**

पत्र सं० : ८वी/यू०पी०/०६/१२/२०२३/एफ.सी. /१०

दिनांक: ०१.०८.२०२४

सेवा में,

आतिह मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Approach/145661/2021**

**विषय:** जनपद देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया—कस्या मार्ग (एस०एव०-७९) के किमी० ८०-१५ से १५ के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-९०८, ग्राम—कोहनपुर, तहसील व जिला देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित ०.०७५०२८ हेक्टर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक ०८ वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:** मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक ३४७८/११-सी—FP/UP/Approach/145661/2021, दिनांक २१.०५.२०२४.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-३८८/८१-२-२०२२-८००(४०३)/२०२२, दिनांक १२.०१.२०२३ का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, १९८० के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में इस कार्यालय के सम—संख्यक पत्र दिनांक १२.०३.२०२४ द्वारा कतिपय विन्दुओं पर आवधक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि चाही गयी सूचना की अनुपालना पूर्ण नहीं है। अतः पुनः निम्न विन्दु पर आवधक सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:—

1. DFO Deoreo to initiate action under section 3A, 3B for violation, under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

मवदीया,

(डॉ प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया।
5. उप महाप्रबन्धक(रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, गोरखपुर—देवरिया रोड, बैतालपुर, देवरिया।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।**

**पत्रांक— ३३७/११-सी—FP/UP/Approach/145661/2021, लखनऊ, दिनांक: अगस्त ०८, २०२४**

**प्रतिलिपि—** मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि—** प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

**प्रतिलिपि—** उप महाप्रबन्धक (रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, गोरखपुर—देवरिया रोड, बैतालपुर, देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।